गेल (इंडिया) लिमिटेड

16, भिकाजी कामा प्लेस, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

निष्पक्ष प्रकटीकरण और आचार संहिता - निष्पक्ष प्रकटीकरण की पद्धतियां और प्रक्रियाएं
अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना

1. प्रारंभिक

1.1 गेल (इंडिया) लिमिटेड के निदेशक मंडल ने अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना के निष्पक्ष प्रकटीकरण के लिए पद्धतियां एवं प्रक्रियाओं के प्रयोजनों के लिए निष्पक्ष प्रकटीकरण के सिद्धांत बनाए हैं, जिसे इसके बाद से ***निष्पक्ष प्रकटीकरण के सिद्धांत*** के रूप में उल्लेख किया गया है।

1.2 यह दिनांक 15.05.2015 से लागू होगा और संहिता में संशोधन, यदि कोई हो, उस तारीख से प्रभावी होगा जिस तारीख से इसे समय-समय पर अधिसूचित किया जाता है।

2. निष्पक्ष प्रकटीकरण के सिद्धांतों का उद्देश्य

कार्यक्रमों और घटनाओं का निष्पक्ष प्रकटीकरण जो बाजार में इसकी प्रतिभूतियों के लिए मूल्य खोज को प्रभावित कर सकता है। निष्पक्ष प्रकटीकरण के सिद्धांतों का पालन करना, जैसे सूचना तक सभी की एक समान पहुंच, लाभांश पर नीतियों का प्रकाशन, अकार्बनिक विकास की खोज, विश्लेषकों को आमंत्रित करना और बैठकें, ऐसी आमंत्रण और बैठकों के कार्यवृत्त का प्रकाशन।

3. प्रकटीकरण की निगरानी और समन्वय

कंपनी सचिव अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना का स्टॉक एक्सचेंजों को तुरंत सार्वजनिक प्रकटीकरण करने के लिए जिम्मेदार होगा, जो मूल्य खोज को प्रभावित करेगा, ताकि चयनात्मक प्रकटीकरण से बचने के लिए अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना का एक समान और सार्वभौमिक प्रसार सुनिश्चित हो सके।

अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना के अनजाने चयनात्मक प्रकटीकरण की स्थिति में, ऐसी जानकारी आम जनता को उपलब्ध हो, यह सुनिश्चित करने के लिए तुरंत कार्रवाई की जाएगी।

अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना को "जानने की आवश्यकता" के आधार पर प्राप्त किया जाएगा, अर्थात् केवल उनका प्रकटीकरण किया जाएगा जिन्हें अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए जानकारी की आवश्यकता है।

4. बाजार की अफवाहों पर कार्रवाई करना

कंपनी के कंपनी सचिव स्टॉक एक्सचेंजों / विनियामक निकायों से बाजार की अफवाहों के सत्यापन के लिए प्राप्त किसी भी प्रश्न या अनुरोध पर 1तुरंत कार्रवाई करेंगे।

5. विश्लेषकों, संस्थागत निवेशकों के विशेष संदर्भ में मूल्य संवेदनशील सूचना का प्रकटीकरण / प्रचार-प्रसार

वित्त विभाग के कार्यात्मक निदेशक / प्रमुख जो मुख्य निवेशक संपर्क अधिकारी / संबंधित अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे, ही केवल कंपनी की प्रतिभूति से संबंधित संस्थागत निवेशकों और विश्लेषकों से संबंधित किसी भी जानकारी (जो अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना नहीं होगी) का खुलासा करेंगे।

कंपनी के सभी अधिकारियों को विश्लेषकों और संस्थागत निवेशकों के साथ बातचीत करते समय यहां नीचे दिए गए दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए:-

(i) गैर-सार्वजनिक सूचना साझा करना

कार्यात्मक निदेशक / मुख्य निवेशक संपर्क अधिकारी विश्लेषकों / अनुसंधान व्यक्तियों / संस्थानों जैसे बड़े निवेशकों को केवल सार्वजनिक सूचनाप्रदान करेंगे। यदि गैर-सार्वजनिक सूचना (जो अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना नहीं होगी) प्रदान करने का प्रस्ताव है, तो ऐसा प्रस्ताव करने वाला व्यक्ति संबंधित कार्यात्मक निदेशक(कों) से अग्रिम में परामर्श करने के बाद सूचना प्रदान करेगा।

(ii) चर्चा की रिकॉर्डिंग करना

मुख्य निवेशक संपर्क अधिकारी सरकारी वेबसाइट पर विश्लेषकों और अन्य निवेशक संबंध सम्मेलनों के साथ बैठकों की कार्यवाही के टेप या रिकॉर्ड बनाकर किए गए प्रकटीकरण की सरकारी पुष्टि और प्रलेखन सुनिश्चित करेंगे।

अप्रकाशित मूल्य संवदेनशील सूचना के निष्पक्ष प्रकटीकरण के लिए पद्धतियों और प्रक्रियाओं के प्रयोजनों हेतु उचित प्रकटीकरण के सिद्धांत सेबी (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 **(अनुलग्नक-1)** की अनुसूची क में निर्धारित अनुसार निष्पक्ष प्रकटीकरण के सिद्धांतों का हिस्सा होंगे।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2018 की शर्तों के अनुसार वैध प्रयोजनों के निर्धारण की नीति निष्पक्ष प्रकटीकरण के सिद्धांतों का हिस्सा है **(अनुलग्नक-2)।**

अनुसूची क

अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना के निष्पक्ष प्रकटीकरण के लिए पद्धतियों और प्रक्रियाओं की संहिता के प्रयोजनों के लिए निष्पक्ष प्रकटीकरण के सिद्धांत

1) अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना के शीघ्र सार्वजनिक प्रकटीकरण, आम जनता को ऐसी विश्वसनीय और ठोस सूचना उपलब्ध कराते ही मूल्य की खोज को प्रभावित करेगा।
2) चयनात्मक प्रकटीकरण से बचने के लिए अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना का एक समान और सार्वभौमिक प्रसार करना।
3) अप्रकाशित संवेदनशील संवेदनशील सूचना के प्रसार और प्रकटीकरण से निपटने के लिए एक मुख्य निवेशक संपर्कअधिकारी के रूप में किसी वरिष्ठ अधिकारी को विनिर्दिष्ट करना।
4) अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना का शीघ्र प्रसार करना, जिसे चुनिंदा आधार पर, अनजाने में या अन्यथा ऐसी जानकारी को आम जनता को उपलब्ध कराने के लिए प्रकट किया जाता है।
5) विनियामक प्राधिकारियों द्वारा समाचारों की रिपोर्टों और बाजार की अफवाहों के सत्यापन के लिए प्राप्त अनुरोधों पर उपयुक्त और उचित कार्रवाई करना।
6) यह सुनिश्चित करना कि विश्लेषकों और अनुसंधान कर्मियों के साथ साझा की गई जानकारी अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना नहीं है।
7) सरकारी पुष्टि और दस्तावेजों का प्रकटीकरण सुनिश्चित करने के लिए सरकारी वेबसाइट पर विश्लेषकों और अन्य निवेशक संपर्क सम्मेलनों की बैठकों की कार्यवाही को रिकॉर्ड या कार्यवृत्त बनाने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं का विकास करना।
8) जरूरत के अनुसार जानने के आधार पर सभी अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना का निपटान करना।

अनुलग्नक-2

<u>वैध प्रयोजनों के निर्धारण के लिए नीति:</u>

किसी अंतरंग व्यक्ति द्वारा यूपीएसआई को साझा करना "वैध उद्देश्य" माना जाएगा यदि यह निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करता है:

i. यूपीएसआई को केवल 'जानने की आवश्यकता' के आधार पर साझा किया जाएगा।

ii. यूपीएसआई की ऐसी साझेदारी व्यापार के सामान्य नियमों के अनुरूप होगी जैसे कि साझेदारों, सहयोगियों, उधारदाताओं, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, व्यापारी बैंकरों, कानूनी सलाहकारों, लेखा परीक्षकों, दिवालिया पेशेवरों या अन्य सलाहकारों या पेशेवरों के साथ निष्पादन कर्तव्यों, कानूनी बाध्यताओं का निर्वहन आदि, बशर्ते कि ऐसा साझाकरण सेबी (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियमों के साथ-साथ गेल की अंतरंग व्यापार संहिता से बचने या उसे रोकने के लिए न किया गया हो।

iii. अंतरंग व्यक्ति केवल कंपनी के हित में और / या कानून की आवश्यकताओं के अनुपालन में बाहरी एजेंसियों के साथ यूपीएसआई साझा करेगा।

iv. वैध उद्देश्य के लिए यूपीएसआई को प्राप्त करने वाला कोई भी व्यक्ति "अंतरंग" माना जाएगा और ऐसे व्यक्ति को यूपीएसआई की गोपनीयता बनाए रखने के लिए उचित नोटिस दिया जाएगा।

v. यूपीएसआई को साझा करने वाला अंतरंग व्यक्ति यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसा तीसरा पक्षकार भी गैर-प्रकटीकरण या गोपनीय समझौतों और ऐसे यूपीएसआई के संबंध में ऐसे व्यक्ति के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों से बंधा होगा और यदि ऐसा व्यक्ति ऐसे यूपीएसआई का गेल की अंतरंग व्यापार संहिता का दुरुपयोग करते हुए उसका उल्लंघन करता है तो वह इसके लिए जिम्मेदार होगा।